

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक - 5186385 /

पटना, दिनांक- 11/02/26

ग्राOविO-R-504/39/2025-SECTION 14-RDD-RDD(COM NO-504370)

प्रेषक,

मन्जु प्रसाद,  
सरकार के अपर सचिव।

प्रेषित,

जिला पदाधिकारी,  
गोपालगंज

स्पीड पोस्ट/  
ई-मेल

विषय:-

निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान के संबंध में।

प्रसंग :-


आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमण्डल, छपरा का पत्रांक-3386 दिनांक-29.12.2025

उपर्युक्त विषयक कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोपालगंज सदर सम्प्रति- निलंबित, के निलंबन अवधि में उपस्थिति के आधार पर जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान करने हेतु मार्गदर्शन की मांग की गयी है।

विभागीय पत्रांक-4563231 दिनांक-04.09.2025 द्वारा श्री सिंह बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1) के आलोक में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

उपरोक्त के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि श्री सिंह के निलंबन अवधि में उनके उपस्थिति के आधार पर जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान उनके पूर्व पदस्थापित कार्यालय के स्थापना से भुगतान किया जाय।

उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


  
(मन्जु प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव

स्पीड पोस्ट/  
ई मेल


जापांक:- 5186385 / ग्राOविO पटना, दिनांक :- 11/02/26

प्रतिलिपि:- आयुक्त, सारण प्रमंडल (सारण)/जिला पदाधिकारी, गोपालगंज एवं सारण/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज एवं सारण/श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोपालगंज (गोपालगंज) (सम्प्रति मुख्यालय:- मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव।

जापांक :- 5186385 / ग्राOविO पटना, दिनांक :- 11/02/26

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/अईOटीO मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव।